रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2002/चैत्र 7, 1924

No. 303] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2002/CHAITRA 7, 1924

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2002

का. आ. 348 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 671(अ) दिनांक 30 सितम्बर, 1996 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में पैरा 1 में "साढ़े पांच वर्षों की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "छः वर्षों की अवधि के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. क्यू-17012/63/91-सी. पी. डब्ल्यू. (भाग-1)]

सी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना "तमिलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकीय क्षति (निवारण एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान) प्राधिकरण" का गठन करने हेतु भारत के राजपत्र में का. आ. सं. 671(अ) दिनांक 30 सितम्बर, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना संख्यांक का. आ. 710(अ) दिनांक 12 अक्तूबर, 1996, का. आ. 590(अ), दिनांक 15 जुलाई, 1998, का. आ. 823(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 1998, का. आ. 621(अ), दिनांक 2 अगस्त, 1999, का. आ. 972(अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2001 और का. आ. 130(अ), दिनांक 28-1-2002 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2002

S.O. 348 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 671(E), dated the 30th September, 1996, namely :—

In the said notification, in paragraph 1, for the words "for a period of five and half years", the words "for a period of six years" shall be substituted.

[F. No. Q-17012/63/91-CPW(Pt. I)]

C. VISWANATH, Jt. Secy.

Note : The principal notification constituting the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu, was published in the Gazette of India vide number S.O. 671(E) dated 30th September, 1996 and subsequently amended vide S.O. 710(E), dated the 12th October, 1996, S.O. 590(E), dated the 15th July, 1998, S.O. 823(E), dated the 16th September, 1998, S.O. 621(E), dated the 2nd August, 1999, S.O. 972(E), dated the 28th September, 2001 and S.O. 130(E), dated 28-1-2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode